रमेश कुमार सुथार गोद बनाम उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण संख्या 04/2018

14.02.2018	अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत कार्यालय के पत्रांक/लो.सू.अ.अ./29 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा अपीलांट को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे। हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में 7 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल द्वारा अपीलांट द्वारा दिनांक 16.11.2017 को आवेदित सूचना पत्रांक/लो.सू.अ.अ./29 दिनांक 17.01.2018 से उपलब्ध करवाई जाना पाया जाता है। अपीलांट को आवेदित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।